भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1420

उत्तर देने की तारीख 28 जुलाई, 2021 (बुधवार)

6 श्रावण, 1943 (शक)

प्रश्न

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में लंबित योजनाएं

1420. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों में आज की तिथि के अनुसार संस्वीकृत की गई और पूरी किए जाने के लिए लंबित याजनाओं के नाम, इनके लिए जारी की गई धनराशि, इनकी स्थिति तथा इनकी संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बहुत समय से लंबित पड़ी सभी याजनाओं क पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के युवाओं का कौशल विकास और क्षमता निर्माण करने हेतु आज की तिथि के अनुसार संस्वीकृत और कार्यान्वित की गई याजनाएं कौन-कौन सी हैं?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्ी)

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत और पूरी किए जाने हेतु लंबित परियाजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**स्कीम**	**संस्वीकृत परियोजनाएं**		**पूर्ण परियोजनाएं**		**चालू परियोजनाएं**	
		सं.	**लागत (रूपये करोड़ में)**	**सं.**	**लागत (रूपये करोड़ में)**	**सं.**	**लागत (रूपये करोड़ में)**
1	**उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास स्कीम (एनईएसआईीएस)**	99	2452.62	-	-	99	2452.62

2	**अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल - राज्य (एनएलसीपीआर-राज्य)**	1635	16233.79	1193	9420.61	442	6813.18
3	**अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल - केंद्रीय (एनएलसीपीआर-केंद्रीय)**	7	1233.327	2	304.87	5	928.457
4	**उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास स्कीम-बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना (एनईआरएस□ीएस-ईएपी), जिसे पहले उत्तर पूर्वी राज्य सड़क निवेश परियोजना (एनईएसआरआईपी) स्कीम कहते थे ।**	12	2144.56	11	2004.72	1	139.84
5	**विशेष अवसंरचना विकास निधि (एसआई□ीएफ)**	37	587.36	22	410.06	15	177.30
6	**असम के बो□ोलैं□ प्रादेशिक परिषद (बीटीसी), दीमा हसाओ स्वायत्त प्रादेशिक परिषद (□ीएचएटीसी) और कारबी आंगलांग स्वायत्त प्रादेशिक परिषद** (केएएटीसी) **के लिए विशेष पक्केज ।**	101	1156.34	53	576.45	48	579.89
7	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचए□ीपी)	41	90.00	-	-	41	90
8	**पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की स्कीमें**	1422	12488.02	760	6055.79	662	6432.23
9	**उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास स्कीम (एनईआरएस□ीएस)**	24	1566.74	2	62.96	22	1503.78

(ख) **मंत्रालय ने जारी परियोजनाओं की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें की हैं । परियोजनाओं के लिए निधियों की निर्मुक्ति चरण-वार रूप से की जाती ह□ जो कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति से सम्बद्ध होते हैं । मंत्रालय राज्य सरकारों को अपनी स्कीमों के तहत निधियां बेहतर निगरानी के लिए 'जस्ट इन टाईम' निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से जारी करता ह□। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को स्कीमों के तहत जारी निधियों की ट्रा□किंग के लिए पीएफएमएस के व्यय-अग्रिम-अंतरण (ईएटी) मॉ□यूल को कार्यान्वित करने के निर्देश भी दिए गए हैं । इसके अलावा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बठकें आयोजित करते हैं और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए क्षेत्रीय दौरों पर भी जाते हैं । मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय के लिए तथा संबंधित राज्यों में परियोजनाओं के प्रभावी निष्पादन के लिए प्रत्येक पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य के लिए नो□ल अधिकारी और मुख्य नो□ल अधिकारी नामित किए गए हैं ।**

(ग) **स्किल इं□या मिशन के तहत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** (एमएस□ई) प्रधान मंत्री कौशल विकास या□जना (पीएमकेवीवाई) नामक एक प्रमुख स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है । पीएमकेवीवाई (2015-16) **को भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने और संवहनीय आजीविका के लिए रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाने हेतु प्रेरित करने और सक्षम बनाने के उद्देश्य के साथ एक कौशल प्रमाणीकरण एवं पारितोषिक स्कीम के रूप में □ाजाइन किया गया था ।** इस स्कीम क□ दिनांक 20.08.2019 क□ औपचारिक रूप से बंद कर दिया गया । पीएमकेवीवाई 1.0 की सफलता के बाद एमएस□ई ने प्रधानमंत्री कौशल विकास या□जना (**पीएमकेवीवाई** 2.0) 2016-20 क□ पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देशभर में एक कराड़ प्रत्याशित युवाओं क□ मान्यता प्राप्त एवं प्रमाणित प्रशिक्षण केंद्रों (टीसी) के माध्यम से निया□जन सम्बद्ध अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) पाठ्यक्रमों और पूर्व शिक्षण की मान्यता (आरपीएल) के तहत कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से लांच किया था । दिनांक 10.07.2021 तक पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमकेवीवाई 2.0 के तहत 10.39 लाख प्रत्याशियों क□ प्रशिक्षण दिया गया है । इसके अतिरिक्त, पीएमकेवीवाई के तीसरे चरण अर्थात् 3.0 **को दिनांक** 15.01.2021 क□ स्थानीय नौकरियों के लिए मांग बढ़ाने हेतु मांग आधारित और बा□टम-अप अप्रा□च के साथ लांच किया गया है । इसके अतिरिक्त, प्रत्याशियों की सुविचारित पसंद/आकांक्षाओं क□ प्रमुखता दी गई है जिसका उद्देश्य स्वरा□गार क□ सहायता देना भी है । दिनांक 10.07.2021 तक पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत 15,219 प्रत्याशियों क□ प्रशिक्षित किया गया है ।

युवा कार्य विभाग, **भारत सरकार राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम** (एनपीवाईएवी) का कार्यान्वयन कर रहा है ज□कि राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (आरवाईएसके) की एक उप-स्कीम है । इस स्कीम का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित पूरे देश में नेतृत्व एवं व्यक्तित्व का विकास, राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन, ए□वेंचर का संवर्धन, किशारों का विकास एवं सशक्तिकरण तथा तकनीकी एवं संसाधन विकास करना है । युवाओं के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/विभागों क□ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

******